

FORM OF ORDER SHEET**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.****Arbitration Case No.- 103/2021****Md. Akhtar Hussain Petitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors..... Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.08.2023	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद पूर्णिया जिला अंतर्गत मौजा-पानी सदरा अवस्थित भूमि जिसका खाता सं०-169, खेसरा सं०-386, रकवा-70 डिसमिल है जिसे विभाग द्वारा Sub Divisional Court, Baisi के निर्माण हेतु अर्जित किया गया है। उक्त भूमि के उचित हकदार को पार्टी नहीं बनाये जाने को लेकर दायर किया गया है।</p> <p>दिनांक-04.08.2023 को सुनवाई के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रस्तुत वाद Sub Divisional Court, Baisi हेतु जमीन के अधिग्रहण से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3G की उपधारा (5) के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त को Arbitrator (मध्यस्थ) नियुक्त किया गया है। प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नहीं हुई है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद दायर कर सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।</p>	

--	--	--	--

Web Copy. Not Official.